न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :–79 / 2021 (2021 / 211) दर्ज दिनांक 21.06.2021
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

संशोधित शीर्षक

1. सुरेश कुमार पुत्र भेरा माली निवासी गोवलिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. गणपतलाल दत्तक पुत्र नानालाल महाजन निवासी छापरी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाए:–
   1/1 अरविन्द कुमार पुत्र गणपतलाल गेलड़ा
   1/2 मंजू पुत्री गणपतलाल गेलड़ा
   1/3 शारदा पुत्री गणपतलाल गेलड़ा
   1/4 वर्षा पुत्री गणपतलाल गेलड़ा
   1/5 प्रेमलता पत्नि गणपतलाल गेलड़ा
   सर्व निवासी छापरी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खांखला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता वादीः– श्री विद्यापुरी गोस्वामी
अधिवक्ता कायम मुकाम प्रतिवादी सं0 01 :– श्री महेश दाधीच
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 26.11.2024

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के प्राथमिक डिक्री किया जाकर राजीनामा अनुसार ग्राम छापरी पटवार हल्का नेगडिया का खेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या एक का जिस प्रकार कब्जा है उससे वादी के हिस्से में आराजी संख्या 342 रकबा 0.36 हे0, 341 रकबा 0.38 हे0 व आराजी संख्या 340 रकबा 0.36 हे0 में से 0.26 हे0 कुल किता चार रकबा 1.00 हे0 व प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में आराजी संख्या 335 रकबा 0.60 हे0, आराजी संख्या 337 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 339 रकबा 0.10 हे, आराजी सं0 340 में से 0.10 हे0 कुल किता चार रकबा 1.01 हे0 का कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की आपसी सहमती से दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक पीडी/481 दिनांक 12.09.2024 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया । जिसे उभयपक्ष के अधिवक्तागणों ने स्वीकार किया ।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) गंगापुर

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	सुरेश कुमार पुत्र भेरा हि0 पूर्ण जाति माली सा0 गोवलिया खातेदार राहिन बड़ौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खांखलां	ग्राम छापरी (खाता संख्या 90)	340/1 341 342	0.26 0.38 0.36
		योग	3	1.00
2	अरविन्द कुमार पुत्र गणपतलाल हि0 1/5 प्रेमलता पत्नि गणपतलाल हि0 1/5 मंजू पुत्री गणपतलाल हि0 1/5 वर्षा पुत्री गणपतलाल हि0 1/5 शारदा पुत्री गणपतलाल हि0 1/5 जाति महाजन सा0 देह खातेदार रहिन बड़ौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खांखलां	ग्राम डेलाना (खाता संख्या 436)	335 337 339 340/2	0.60 0.21 0.10 0.10
		योग	4	1.01

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर